फैक्स / ई-मेल/ कुम्भ मेला / समयबद्व

संख्या- 4 /2019 / 40 पी /छः-पु-6-2019-300 (02) /2019

प्रेषक,

भगवान स्वरूप
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
प्रयागराज।

गृह पुलिस अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 11 जनवरी, 2019

विषयः प्रयागराज जनपद के संगत क्षेत्र में दिनांक 15-01-2019 से 04-03-2019 तक आयोजित होने वाले कुम्भ मेला के सम्पूर्ण क्षेत्र के एक थाना कोतवाली बनाने तथा अन्य 39 थानों को रिर्पोटिंग पुलिस चौकियों का दर्जा दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- आधु0-3/क-127-2017 दिनांक 01-01-2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कुम्भ मेला, प्रयागराज के पत्र सं0-01/2018 (कु0मे0) दि0 18-12-2018 व अन्य संगत अभिलेख संलग्न करते हुए कुम्भ जनपद में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया की धारा- 2(घ) के प्राविधानों के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में उक्त सम्पूर्ण कुम्भ क्षेत्र को एक थाना कोतवाली मानते हुए शेष 39 थानों को रिर्पोटिंग चौकियों का दर्जा दिये जाने एवं उपलब्ध कराये गये प्रपत्र- प्रथम में अंकित ग्राम/मोहल्लों को जनपद प्रयागराजके स्थाई थानों कीडगंज, दारागंज, कर्नलगंज, शिवकुटी, थरवई,झूंसी, औद्योगिक क्षेत्र नैनी से निकालने तथा प्रपत्र-2 में अंकित ग्राम मोहल्लों को कोतवाली कुम्भ मेला, प्रयागराज के क्षेत्र में दिनांक 01-01-2019 से 07-03-2019 तक सम्मिलित करते हुए शासनादेश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सम्पूर्ण कुम्भ क्षेत्र को एक थाना कोतवाली मानते हुए शेष 39 थानों को रिर्पोटिंग चौकियों का दर्जा दिये जाने के संबंध में श्रीराज्यपाल महोदय निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

I. पुलिस विभाग द्वारा मेला क्षेत्र के अन्तर्गत कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यातायात नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से व दण्ड प्रक्रिया की धारा-2 (ध) के प्राविधानों के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में **सम्पूर्ण मेला क्षेत्र को एक थाना कोतवाली मानते हुए निम्न 39 थानों को रिर्पोटिंग चौकियों का दर्जा प्रदान किया जाता है:-**

क0सं0	नाम थाना	क0सं0	नाम थाना	क0सं0	नाम थाना
1	महामना मालवीय पार्क	15	गंगेश्वर महादेव	29	महिला थाना झूँसी
2	सरस्वती घाट	16	नारायणी आश्रम	30	छतनाग
3	महात्मा गॉधी मार्ग	17	उत्तरी झूँसी	31	दक्षिणी झूँसी
4	परेड	18	रामजानकी	32	नागेश्वर महादेव
5	अलोपी बाग	19	महामण्डलेष्वर नगर	33	मुखर्जी सेतु
6	संगम	20	अन्न क्षेत्र	34	सच्चाबाबा जल पुलिस अरैल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7	महिला थाना संगम	21	आचार्य नगर	35	कोतवाली अरैल
8	जल पुलिस संगम	22	रोडवेज झूॅसी	36	महिला थाना अरैल
9	अक्षय वट	23	जी0टी0 झूॅसी	37	सोमेश्वर महादेव
10	महावीर जी	24	कल्पवासी	38	संस्कृति ग्राम
11	लाल बहादुर शास्त्री सेतु	25	कोतवाली झूॅसी	39	वैदिक टेन्ट सिटी
12	खाक चौक	26	अखाडा		
13	नागवासुकी	27	गंगा प्रसार क्षेत्र		
14	भारद्वाज	28	लोवर संगम जल पुलिस झूॅसी		

II. उक्त के अतिरिक्त संलग्न प्रपत्र- प्रथम में अंकित ग्राम/ मोहल्लों को जनपद प्रयागराज के स्थाई थानों कीडगंज, दारागंज, कर्नलगंज, शिवकुटी, थरवई, झूंसी, औद्योगिक क्षेत्र, नैनी से निकालने तथा प्रपत्र -द्वितीय में अंकित ग्राम/मोहल्लों को कोतवाली कुम्भ मेला, प्रयागराज के क्षेत्र में दिनांक 01.01.2019 से 07.03.2019 तक की अवधि के लिए सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- दिनांक 08-03-2019 से कोतवाली कुम्भ मेला और उक्त रिर्पोटिंग पुलिस चौकियां स्वत: समाप्त हो जायेंगी और पूर्ववत व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

4- दिनांक 08-03-2019 के पश्चात कोतवाली कुम्भ मेला की समस्त विवेचनाओं को संबंधित जनपदीय थानों को सौंप दिया जायेगा।

5- कृपया उपर्युक्त निर्देशों से अवगत होते हुए समयबद्व कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय
भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या- 4 /2019 / 40 पी (1) /छः-पु-6-2019-300 (2) /2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
4. मेला अधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक/स्थापना/कानून-व्यवस्था/तकनीकी सेवाएं/ पी0ए0सी0उत्तर प्रदेश।
6. पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से
महेन्द्र सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in